बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / नॉन आर0ए0पी0डी0आर0पी0–02 / 2012

पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– आर0 ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत IT implementation के किये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त बचे हुए क्षेत्रों में IT implementation के कार्यों हेतु Non-RAPDRP योजना के अन्तर्गत राज्य योजना से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की 16.18 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 7.3423 करोड़ (सात करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

राज्य में आर0 ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत तीस हजार से अधिक आबादी वाले 71 शहरों में IT System के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के द्वारा लगभग 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। राज्य के शेष उपभोक्तओं तक IT System के लाभ पहुँचाने हेतु Non-RAPDRP प्रक्षेत्र में भी एक योजना बनायी गयी है। इस योजना के अधीन नॉर्थ बिहार एवं साउथ बिहार के Non-RAPDRP प्रक्षेत्र के सभी 11 के0वी0 फीडर्स एवं HT Consumers के Automatic Meter Reading का कार्य भी किया जा सकेगा। इस योजना के द्वारा नॉर्थ बिहार के 6 विद्युत अंचल के 50 आपूर्ति Sub-Division एवं साउथ बिहार के 4 विद्युत अंचल के 40 आपूर्ति Sub-Division के उपभोक्ता के शिकायतों का निवारण तीव्र गति से हो सकेगा।

2. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त कार्यों के कार्यान्वयन के लिए Non-RAPDRP योजना में IT implementation के कार्यों हेतु राज्य योजना से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की 16.18 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश सं0 3797 दिनांक 23.07.2013 द्वारा प्रदान की गई है तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश सं0 2164, दिनांक 27.07.2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 4.00 करोड़ रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराया गया है।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा आर0 ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत IT implementation के किये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त बचे हुए क्षेत्रों में IT implementation के कार्यों हेतु Non-RAPDRP योजना के अन्तर्गत राज्य योजना से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की 16.18 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 7.3423 करोड़ (सात करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ0पृ0ऊ0......

4. यह राशि मुख्य शीर्ष–4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 05– संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उप शीर्ष 0111– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड की परियोजना, मांग संख्या–10, विपत्र कोड संख्या P4801051900111, विषय शीर्ष 5401–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, व्यय शीर्ष एल० 8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–के०–8448001200047 में जमा की जाएगी।

6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र02/नॉन आर0ए0पी0डी0आर0पी0–02/2012 के पृष्ठ संख्या 12/टि0 पर दिनांक 09.07.2013 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या– प्र02/नॉन आर0ए0पी0डी0आर0पी0–02/2012 के पृष्ठ संख्या–25/टि0 पर दिनांक 29.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – प्र02/नॉन आर0ए0पी0डी0आर0पी0–02/2012 दिनांक ....

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : प्र02/नॉन आर0ए0पी0डी0आर0पी0–02/2012/118 दिनांक 30/03/2017

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।